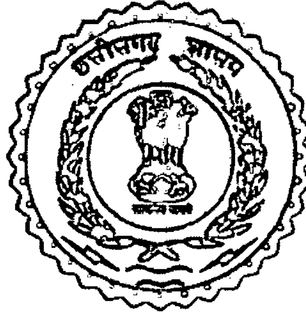
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2009— ज्येष्ठ 22, शक 1931

भाग 3 (1)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

श्रम आयुक्त कार्यालय, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक /आउ/न्यू. वे./श्र.आ./2009/2811.— छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-5-1982 के अनुसरण में, मैं के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया है जिसके अनुसार जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूं :-

माह/वर्ष		अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई 2008		3264
अगस्त 2008		3308
सितम्बर 2008		3333
अक्टूबर 2008		3377
नवम्बर 2008		3377
दिसम्बर 2008		3357
	योग	**20016=3336**
		6

इनका औसत 3336 घोषित करता हूं, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-3-97-सोलह ए, दिनांक 05-02-1997 (राजपत्र, दिनांक 06-02-1997) द्वारा परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है.

परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में

विवरणात्मक टीप

राजपत्र (असाधारण), दिनांक 06-02-1997 के पृष्ठ क्रमांक 86 से 86 (22) तक श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 05-02-1997, जो न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 33 अनुसूचित नियोजनों में पूर्व अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-7-82-श्रम-16 ए, दिनांक 26-06-1987 को अधिक्रमित करते हुए, नई अधिसूचना क्रमांक एफ 4-(सी)-3-97-16-ए, दिनांक 05-02-1997, जो राजपत्र, दिनांक 06-02-1997 में प्रकाशित हुई है, के अनुसार आद्यौगिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई है, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई है.

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू. वे./श्र. आ./2009/2811 दिनांक 19-5-2009 के अनुसार जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 3336 रहा है, इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1281 (1960=100), जुलाई से दिसम्बर, 1993 के आधार पर आंकड़ों के ऊपर कुल 2055 औसत बिंदुओं तथा जुलाई 2008 से दिसम्बर, 2008 तक अवधि में 205 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है. परिणामस्वरूप 33 अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपया 1.00 (एक रुपया) प्रति बिंदु प्रतिमाह के मान से 205.00 रुपये तथा कुल 2055.00 रुपये या 79.03 रुपये प्रतिदिन (26 दिन के मान से) दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009 तक देय है. (अनुसूची अ, ब, स)

वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/303/आर/577/92/नि-5/4 दिनांक 30 जून, 1992 तथा छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-05-1982 के अनुसरण में, मैं के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ रायपुर एतद्द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए अनुसूची- "क" के अनुसार निर्धारित करता हूं, जो दिनांक 01-04-2009 से 30-9-2009 तक देय है.

अनुसूची-"अ"

33 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है. (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तन शील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01-10-2008 से 31-3-2009							दिनांक 1-4-2009 से 30-9-2009					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1014.00	39.00	1850.00	71.15	2864.00	110.15	अकुशल	1014.00	39.00	2055	79.03	3069.00	118.03
1122.00	43.15	1850.00	71.15	2972.00	114.31	अर्धकुशल	1122.00	43.15	2055	79.03	3177.00	122.19
1232.00	47.38	1850.00	71.15	3082.00	118.54	कुशल	1232.00	47.38	2055	79.03	3287.00	126.42

टीप : न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 33 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट-"अ" तथा इस संबंध में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-"ब" में देखें

परिशिष्ट-"अ"

न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजनों की सूची

क्रमांक	नियोजन का नाम
1.	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	वन उपज तथा वन लगाने में नियोजन
3.	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्यों में नियोजन
4.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	केमिल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चांवल मिल, आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुर्रा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	खाद्य पदार्थ जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कंफेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकेण्डी सम्मिलित हैं एवं पेय के निर्माण में नियोजन
13.	पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दुकान, वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्रणालय में नियोजन
16.	सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन
17.	प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	चूना भट्ठा में नियोजन
20.	ईंट भट्ठों में नियोजन
21.	पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है, में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	कोसा उद्योग में नियोजन
24.	खांडसारी उद्योग में नियोजन
25.	पाटरिंज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनेटरी वेअर्स, इन्सूनेटर्स, टाईल्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्रा पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य रिसेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन.
26.	कंबल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	कत्था उद्योग में नियोजन
29.	रामरज या गेरू के निर्माण में नियोजन
30.	हाथ करघा उद्योग में नियोजन
31.	बोन मिल में नियोजन
32.	टाईल्स जिसमें मेंगलोर टाईल्स, अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन.
33.	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा -2 (क) परिभाषित की गई, चलाई जाती है, जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन.

परिशिष्ट-"ब"

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनांक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.

2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है.

3. कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या

(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए.

(ख) अर्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यत: रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएं, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है.

(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है. इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिए.

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी.

5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है. यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होगे.

6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छ: दिन कार्य करते हैं एवं एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो.

अनुसूची-"ब"

किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है. (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01-10-2008 से 31-3-2009									दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1589.00	61.11	1850.00	71.15	3439.00	132.27	कटर्स	1589.00	61.11	2055	79.03	3644.00	140.15
1356.00	52.15	1850.00	71.15	3206.00	123.31	रोलर्स, मिस्त्री, पांईटर्स.	1356.00	52.15	2055	79.03	3411.00	131.19
1173.00	45.11	1850.00	71.15	3023.00	116.27	पेपर, पट्टी पेकर, सीवर.	1173.00	45.11	2055	79.03	3228.00	124.15
1232.00	47.38	1850.00	71.15	3082.00	118.54	मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि.	1232.00	47.38	2055	79.03	3287.00	126.42
1014.00	39.00	1850.00	71.15	2864.00	110.15	मजदूर	1014.00	39.00	2055	79.03	3069.00	118.03

अनुसूची-"स"

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है. (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01-10-2008 से 31-3-2009							दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						लिपिकीय वर्ग						
1232.00	47.38	1850.00	71.15	3082.00	118.54	श्रेणी एक,	1232.00	47.38	2055.00	79.03	3287.00	126.42
1122.00	43.15	1850.00	71.15	2972.00	114.31	श्रेणी दो,	1122.00	43.15	2055.00	79.03	3177.00	122.19
						कुशल श्रेणी						
1416.03	54.46	1850.00	71.15	3266.03	125.62	श्रेणी एक	1416.03	54.46	2055.00	79.03	3471.03	133.50
1303.05	50.11	1850.00	71.15	3153.05	121.27	श्रेणी दो.	1303.05	50.11	2055.00	79.03	3358.05	129.16
1232.00	47.38	1850.00	71.15	3082.00	118.54	श्रेणी तीन,	1232.00	47.38	2055.00	79.03	3287.00	126.42
						अर्धकुशल श्रमिक						
1234.17	47.46	1850.00	71.15	3084.17	118.62	श्रेणी एक	1234.17	47.46	2055.00	79.03	3289.17	126.51
1122.00	43.15	1850.00	71.15	2972.00	114.31	श्रेणी दो	1122.00	43.15	2055.00	79.03	3177.00	122.19
1014.00	39.00	1850.00	71.15	2864.00	110.15	अकुशल श्रमिक	1014.00	39.00	2055.00	79.03	3069.00	118.03

अनुसूची-"क"

छत्तीसगढ़ के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है. (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01-10-2008 से 31-3-2009							दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1014.00	33.80	1850.00	61.66	2864.00	95.47	अकुशल	1014.00	33.80	2055.00	68.50	3069.00	102.30
1122.00	37.40	1850.00	61.66	2972.00	99.07	अर्धकुशल	1122.00	37.40	2055.00	68.50	3177.00	105.90
1232.00	41.06	1850.00	61.66	3082.00	102.73	कुशल	1232.00	41.06	2055.00	68.50	3287.00	109.57

विशेष टीप : उपर्युक्त निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित करने से साप्ताहिक विश्राम दिवस का पारिश्रमिक सम्मिलित नहीं है.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2009

क्रमांक /आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2009/2811.— छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सहपठित, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-5-1982 के अनुसरण में, मैं के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त छत्तीसगढ़, रायपुर एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक , जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जिसके अनुसार जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूं :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई 2008	2603
अगस्त 2008	2651
सितम्बर 2008	2680
अक्टूबर 2008	2704
नवम्बर 2008	2709
दिसम्बर 2008	2704
योग	16051/6=2675

इनका औसत 2675 घोषित करता हूं, जो कि परिशिष्टित-द कृषि में नियोजनों के श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. जिससे कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-3-88 -सोलह ए, दिनांक 12-09-1989 (राजपत्र, दिनांक 14-09-1989) द्वारा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है.

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए 01-4-2009 से 30-9-2009 की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4 (सी) 3-88-16-ए, दिनांक 12-09-1989 (राजपत्र, दिनांक 14-09-1989) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है.

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर का अधिसूचना क्रमांक/आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2009/2811 दिनांक 19-5-2009 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 2675 रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 661 (1960=100), जनवरी से जून 1988 के आधार पर आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि में 175 औसत बिंदुओं की वृद्धि तथा कुल औसत बढ़कर 2014 बिंदुओं का रहा है, जिसके कारण कृषि श्रमिकों को परिवर्तनशील महंगाई भत्ता प्रतिमाह 2014.00 रुपये या 67.13 रुपये प्रतिदिन (30 दिन के मान से), दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009 तक देय है. (अनुसूची-"द")

अनुसूची-"द"

कृषि में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी शामिल है. (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तन शील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
दिनांक 01-10-2008 से 31-3-2009							दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
411.00	13.70	1839.00	61.30	2250.00	75.00	अकुशल कृषि श्रमिक	411.00	13.70	2014.00	67.13	2425.00	80.83

रायपुर, दिनांक 19 मई 2009

अगरबत्ती उद्योग

क्रमांक /आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2009/2811.— न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर को श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-5-1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक , जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर, विगत जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूं :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1982=100)
जुलाई 2008	662
अगस्त 2008	671
सितम्बर 2008	676
अक्टूबर 2008	685
नवम्बर 2008	685
दिसम्बर 2008	681
योग	**4060/6 = 677**

अत: विगत छ: माहों का औसत 677 घोषित करता हूं, जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-1-97 -सोलह ए, दिनांक 12-01-1999 (राजपत्र, दिनांक 15-01-1999) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-1-97-सोलह ए, दिनांक 18-03-1999 (राजपत्र, दिनांक 02-04-1999 में प्रकाशित) के द्वारा निर्देशित उक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009 तक देय है.

परिवर्तशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

अगरबत्ती उद्योग

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक /आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2009/2811 दिनांक 19-5-2009 के अनुसार जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 677 रहा है. इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 352 (1982=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर जुलाई 2008 से दिसम्बर 2008 तक की अवधि 325 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है. (677-352=325 पाईंट) जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए परिवर्तनील महंगाई भत्ता 1.25 पैसे (सवा पैसे) प्रति बिंदु प्रति एक हजार अगरबत्ती बनाने के लिए 4.06 रुपये परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009 तक देय है.

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)1-97-सोलह ए, दिनांक 12-01-1999 (राजपत्र दिनांक 15-1-1999 में प्रकाशित) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-1-97-सोलह ए, दिनांक 18-3-1999 (राजपत्र दिनांक 02-04-1999 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है, जो दिनांक द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01-4-2009 से 30-9-2009 तक देय है.

अनुसूची-"एफ"

अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें :-

कर्मचारी का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें	कुल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
अ-अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	6.31 पैसे	5 पैसे प्रति 4 हजार	10.37 पैसे
सुगंधित (सेंटेड)	6.78 पैसे	5 पैसा प्रति 4 हजार (1.25 पैसे प्रति बिंदु)	10.84 पैसे

आ-निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरना, पैकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पैकेट बंद करना.

		रु./पैसे
बिना सिलोफेन या जिलेटिन के		
1. 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 5.37 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500	8.62
2. 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.09
3. 30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.09
4. 40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 7.60 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	11.66
5. 70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 10.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	15.71
6. 80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 11.05 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	17.55
7. 100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	18.42
8. 200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 14.28 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	22.41
सिलोफेन या जिलेटिन के		
1. 10 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 5.84 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.09
2. 20 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	11.31
3. 30 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 8.62 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	14.05
4. 40 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 9.12 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	14.55
5. 70 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 10.52 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 300 (1.67 पैसा प्रति बिंदु)	15.95
6. 80 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 11.92 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 250 (2 पैसा प्रति बिंदु)	18.42
7. 100 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 13.33 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंदु)	21.46
8. 200 ग्राम वजन के प्रति सैकड़ा रु. 15.21 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 200 (2.50 पैसा प्रति बिंद)	23.34

(ई) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलीयों में भरकर, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना.

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के		रु./पैसे
1. 10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 4.45 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	7.15
2. 12 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 4.90 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 600 (0.0083 पैसा प्रति बिंदु)	7.59
3. 23 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 5.82 पैसें	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.07
4. 50 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 6.31 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 500 (1 पैसा प्रति बिंदु)	9.56
5. 100 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 7.25 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	11.31
6. 200 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 8.41 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 400 (1.25 पैसा प्रति बिंदु)	12.47

(ई ई) सारे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना

1. 5 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 0.94 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2500 (0.0020 पैसा प्रति बिंदु)	1.59
2. 10 अगरबत्ती के लिए प्रति सैकड़ा रु. 1.15 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 2200 (0.0022 पैसा प्रति बिंदु)	1.90
3. पुंगली बनाने के कागज प्रति 1000 रु. 18.00 पैसे	5 पैसा प्रति बिंदु 1500 (0.0033 पैसा प्रति बिंदु)	19.07

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर)
न्यूनतम मजदूरी

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन	
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	एकाउंटेंट केशियर गोडाउन कीपर	1699.75	65.37	1625.00	62.50	3324.75	127.87
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क	1590.50	61.17	1625.00	62.50	3215.50	123.67
3.	मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी बनाने वाले,	1699.75	65.37	1625.00	62.50	3324.75	127.87
4.	पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला,	1590.50	61.17	1625.00	62.50	3215.50	123.67
5.	पुड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य.	1482.40	57.01	1625.00	62.50	3107.40	119.51

नोट :-

अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेटी भरने वाला, मसाला तोलने वाला, एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी.

स्पष्टीकरण

1. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (व्ही. डी. ए.) जनवरी, 1997 से जून 1997 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचकांक कहा जायेगा) 352 (1982=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिए प्रति बिंदु सम्मुख अंकित किये गए अनुसार दर से तथा मासिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए रुपये 5.00 प्रति बिंदु प्रतिमाह की दर से संदेय होगा. जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसम्बर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी. इस प्रकार से संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा. उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र में घोषित किया जावेगा.

2. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है.

3. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है; वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गए अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा.

रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर 2008

क्रमांक /आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2008/4218.— छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर द्वारा श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक/3761/613/16-ए/82, दिनांक 25-5-1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं के. डी. पी. राव, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर, विगत जुलाई, 2007 से जून, 2008 तक के माहों के लिए सूचकांकों का निम्नानुसार घोषित करता हूं :-

माह/वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
जुलाई 2007	3012
अगस्त 2007	3037
सितम्बर 2007	3037
अक्टूबर 2007	3057
नवम्बर 2007	3057
दिसम्बर 2007	3057
जनवरी 2008	3057
फरवरी 2008	3081
मार्च 2008	3126

(1)		(2)
अप्रैल 2008		3150
मई 2008		3175
जून 2008		3195
	योग	$\frac{37041}{12}$ = 3087

तथा उक्त के अनुसार औसत 3087 घोषित करता हूं, जो कि किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिए वार्षिक निर्वाह व्यय सूचकांक (एनवल एवरेज कास्ट ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4-(सी)-94-16-ए, दिनांक 05-06-1997 (राजपत्र, दिनांक 07-06-1997) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-28-116-99-16-ए, दिनांक 04 सितंबर, 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितंबर, 2000 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बीड़ी श्रमिकों को दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक देय रहेगा.

परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रमायुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक /आठ/न्यू. वे./श्र.आ./2007/4218 दिनांक 23-09-2008 के अनुसार जुलाई 2007 से जून, 2008 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 3087 रहा है. इसलिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) के आधार आंकड़ों के ऊपर, जुलाई 2007 से जून, 2008 की अवधि में 1881 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है. (3087-1206=1881 पाईंट) जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से 1881 पैसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक देय है. (अनुसूची "ई")

श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)-ए-94-16-ए, दिनांक 05-09-1997 (राजपत्र, दिनांक 07-06-1997) एवं श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-28-116-99-16-ए, दिनांक 04 सितंबर, 2000 (राजपत्र, दिनांक 04 सितंबर, 2000) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित हैं) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है. जो दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक देय है.

अनुसूची-"ई"

किसी तंवाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

	कर्मचारियों का वर्ग (1)	न्यूनतम मजदूरी की दरें (2)	परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें (3)	कुल वेतन (4)
1.	बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिये)	रु. 22.50 पैसे	रु. 18.81 पैसे	रु. 41.31 पैसे
				किंतु यदि श्रमिक का किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 231.33 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना की परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार

(1)	(2)	(3)	(4)
			कम से कम रुपये 231.33 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा.

2- रिलाई श्रमिक

अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना

1.	लेबल चिकाने तथा पुड़ों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रु. 15:00 प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रुपये 24.41 पैसे
2.	यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है.	रु. 17.35 पैसे प्रति 1000 कट्टों पर	एक पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रुपये 26.76 पैसे

ब. झिल्ली एवं लेबल लगाने संबंधी कार्य

1.	झिल्ली लेबल लगाना.	रु. 11.20 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति दो हजार	रुपये 20.61 पैसे
2.	झिल्ली लगाना	रु. 7.77 प्रति 1000 कट्टों पर	1.5 पैसे प्रति बिंदु प्रति चार हजार	रुपये 14.82 पैसे
3.	लेबल लगाना	रु. 3.60 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रुपये 05.95 पैसे
4.	पुड़ा बनाना या चिपकाना	रु. 3.85 प्रति 1000 कट्टों पर	1 पैसे प्रति बिंदु प्रति आठ हजार	रुपये 06.20 पैसे

स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो

1.	आड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 49.75 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर.	रुपये 87.37 पैसे
2.	झिल्ली आड़ी तथा पट्टी लगाने का कार्य हो.	रु. 62.45 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर.	रुपये 100.07 पैसे
3.	झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य.	रु. 62.45 पैसे प्रति एक लाख बीड़ी पर.	2 पैसे प्रति बिंदु प्रति लाख बीड़ी पर.	रुपये 100.07 पैसे

नोट :-

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाले, तंबाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला, रसोईया, ड्राईवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाऊंटेंट, मुनीम, कैशियर, गोडाउन कीपर, स्टोर कीपर, टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे.

इस प्रयोजन के लिए उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा.

1. कुशल : ड्राईवर (चालक), (भारी वाहन), एकाऊंटेंट, मुनीम, केशियर, स्टोर कीपर, हेड क्लर्क, गोडाउन कीपर.

2. अर्धकुशल : बीड़ी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टी वाला, रसोइया, ड्राईवर, (हल्का वाहन), टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क.

3. अकुशल : ट्रक से माल चढ़ाने या उतारने वाले या बीड़ियों के पुड़ों के कार्य में लगा श्रमिक, भृत्य, चौकीदार.

बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते सहित दिनांक 01-10-2008 से 30-09-2009 तक निम्नानुसार देय है.

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन	महंगाई भत्ता	कुल वेतन प्रतिमाह	कुल वेतन प्रतिदिन
1.	कुशल	1065.44	1881.00 पैसे	2946.44	113.32
2.	अर्धकुशल	898.30	1881.00 पैसे	2779.00	106.88
3.	अकुशल	732.80	1881.00 पैसे	2613.00	100.50

स्पष्टीकरण

1. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगीं, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित हैं.

2. परिवर्तनशील महंगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तम्भ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1206 (1960=100) पर आधारित है. 1206 सूचकांक के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 अक्टूबर से की जावेगी और स्तंभ 3 में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील महंगाई भत्ता मानी जावेगी. 1 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जुलाई से जून तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय-समय पर प्रकाशित की जावेगी.

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

4. जहां नियोजन प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिए लगने वाला कच्चा माल तंबाकू, तेंदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिए देय वेतन तथा विशेष महंगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारन्टेड वेज कहा जाएगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा.

5. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गए कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीड़ी का जो वेतन अर्जित करेगा, वह भी सम्मिलित होगा.

6. यदि कर्मचारी अन्य इच्छा से किसी भी कारणवश किसी दिन गारन्टेड वेज प्राप्त करने की मात्रा से भी कम वेतन अर्जित करता है तो कर्मचारी गारन्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

7. जो कर्मचारी दिये गए कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिए पर्याप्त हो कि पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा.

8. आग, विपत्ति महामारी, असैनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता तो कर्मचारी वेज को प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा.

EFFECTIVE WAGES OF BEEDI ROLLERS

Beedi Rollers (For rolling of 1000 Beedies)

Effective from 01-10-2008 to 30-09-2009

V. D. A. revisable annually with effect from 01-10-2007

No.	PERTICULAR		Rs./P.
1.	Basic Wage		22.50
2.	Variable Dearness Allowance		18.81
3.	Leave with Salary		2.07
	(@ 5% of Total wages)		
4.	Total Wages		43.38
5.	Bonus		3.61
	(@ 8.33% of Total wages)		
6.	P. F. Contribution of employer		4.34
	(@ 10% of Total wages)		
7.	Total wages + Bonus + P. F. Contribution		51.33
	Less contribution of employer	(-)	4.34
8.	Total Wages + Bonus		46.99
9.	Less P. F. Contribution of employee		4.34
	(@ 10% of Total wages)	(-)	
10.	Net payable to beedi Roller		42.65

के. डी. पी. राव,
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी.

निविदा सूचनाएं

Raipur, the 27th May 2009

TENDER NOTICE

No. GB-IV Paper-(1) 2009-2010/345.—Sealed Tenders are invited for supply of approximately 390 M.T. (+25%) White Offset Paper and 206 M. T. other various kinds of papers i. e. Colour Offset, Azurlaid, Craft, Maplitho and 2300 Reel Photo Copier Paper etc., for the printing works of the department to the Govt. Press at Raipur, Rajnandgaon superscribed with the words Tender for Printing Paper 2009-2010 are invited from the paper mills or their Authorised Agents/Dealers of manufacturing Mills having Annual Excise clearance for 16000 Tonnes (only for White Offset Paper) based on 50 TPD for about 320 Industrial days. Tenders must reach this office latest by 3.00 P. M. on 27-6-2009 along with test report of papers from Govt. laboratory.

2. The tender will be considered only on the tender form supplied by us. It can also be submitted on the form down-loaded from our website **www. etendersindia.net**

3. The tenders will be opened on the same day at 4.00 P. M. in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives also may be present. The tenders, samples along with test report from Govt. Laboratory and other tender documents received after the prescribed date and time will not be accepted under any circumstances irrespective of means of despatch and delivery.

4. The details of specifications of the papers and their quantities Required is given in the Tender Form. Tender form can be obtained from Office of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur-492001 Near Commercial Tax Office, Civil Line in person on any working day during working hours upto 18-6-2009 at the cost of Rs. 1000.00 each in cash or by post for Rs.1100.00 payable by demand draft in favour of the Director, Govt. Printing and Stationery, C. G., Raipur but NOT BY POSTAL ORDER/MONEY ORDER. The Tender form by post will be sent only on the condition that the required Bank Draft and application for purchase of tender form is received in this office upto 12-6-09. The tender form will be despatched by Registered post or by Speed Post or Courier Services but this office shall not be responsible if it is delivered late due to postal delay at both ends. It is advisable that tender form may be obtained in person. Cost of Tender Form once received shall not be refunded.

5. In Case if tenderer obtained the tender form from our website he shall have to submitted Rs. 1000 (cash) in our office day before the date of submission of tender otherwise the tender will not be accepted.

Note :- Tender form can be downloaded from www. etendersindia.net.

Sd/-
(K. Sreenivasulu)
Commissioner
Govt. Printing and Stationery Department
Behind Old Commissioner Office
C. G. Raipur
Phone No.-2331302

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2009.